मध्यप्रदेश विधान सभा

जुलाई, 2019 सत्र

दैनिक कार्य सूची

गुरुवार, दिनांक 11 जुलाई, 2019 (आषाढ़ 20, 1941)

समय 11.00 बजे दिन.

1. प्रश्नोत्तर.

पृथकत: वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना.

(1) डॉ.गोविन्द सिंह, सामान्य प्रशासन मंत्री, जांच आयोग अधिनियम, 1952 की धारा 3 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार दिनांक 12.10.2016 को पेटलावद जिला झाबुआ में मोहर्रम के जुलूस को रोकने की घटना की न्यायिक जांच आयोग का प्रतिवेदन दिनांक 17 नवम्बर, 2017 पटल पर रखेंगे.

(2) श्री आरिफ अकील, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम मर्यादित, भोपाल का 54 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2015-2016 पटल पर रखेंगे.

(3) श्री प्रदीप जायसवाल, खनिज साधन मंत्री, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार दि मध्यप्रदेश स्टेट माईनिंग कारपोरेशन लिमिटेड, भोपाल का 54 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2016-2017 पटल पर रखेंगे.

(4) श्री प्रियव्रत सिंह, ऊर्जा मंत्री, कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) (ख) की अपेक्षानुसार –

(क) मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड, भोपाल का 15 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2016-2017 तथा

(ख) मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड, जबलपुर का 15 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2016-2017,

पटल पर रखेंगे.

(5) श्री जीतू पटवारी. उच्च शिक्षा मंत्री, मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 47 की अपेक्षानुसार -

(क) बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल (म.प्र.) का 46 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2017-2018 तथा

(ख) महाराजा छत्रसाल बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, छतरपुर (म.प्र.) का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2017-2018,

पटल पर रखेंगे.

(6) श्री सचिन यादव, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री –

(क) राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 (क्रमांक 4 सन् 2009) की धारा 42 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.) की वैधानिक ऑडिट रिपोर्ट वर्ष 2016-2017 तथा

(ख) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड का 48 वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2016-2017,

पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण.

(1) श्री दिलीप सिंह गुर्जर, सदस्य, नागदा-खाचरौद क्षेत्र के आंगनबाड़ी केन्द्रों एवं विद्यालयों में घटिया मध्याह्न भोजन का वितरण किये जाने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री आशीष गोविन्द शर्मा, सदस्य, देवास जिले की कन्नौद पुलिस द्वारा एक व्यक्ति पर अवैध शराब का झूठा प्रकरण कायम किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति एवं स्वीकृति.

(1) श्री हरदीप सिंह डंग, सभापति, गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे तथा निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे कि –

"सदन गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के प्रथम प्रतिवेदन से सहमत है.".

(2) श्री लक्ष्मण सिंह, सभापति, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का प्रथम से चौदहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

5. याचिकाओं की प्रस्तुति.

(1) श्री आलोक चतुर्वेदी, सदस्य, छतरपुर नगर में एक शासकीय कन्या हायर सेकेण्ड्री विद्यालय खोले जाने,

(2) श्री रामकिशोर (नानो) कावरे, सदस्य, बालाघाट जिले के ग्राम पंचायत परसवाड़ा सहित अन्य ग्राम पंचायतों में भी नल-जल योजना की स्वीकृति प्रदान किये जाने,

(3) श्री राकेश गिरि, सदस्य, टीकमगढ़ जिले के राजेन्द्र सागर (नगदा बांध) के जलोद क्षेत्र (उखरा-बूढा) की जमीन से अवैध कब्जा हटाये जाने,

(4) श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया, सदस्य, शिवपुरी जिले के ग्राम कैमखेड़ा से रूपेपुर तक सड़क का निर्माण किये जाने,

(5) श्री प्रेमसिंह पटेल, सदस्य, बड़वानी जिले के ग्राम गोलबावड़ी का नाम म.प्र. शासन के पोर्टल पर दर्ज कराये जाने,

(6) श्री श्यामलाल द्विवेदी, सदस्य, रीवा जिले की नगर परिषद त्यौंथर की टमस नदी के ''मीर बहरी घाट'' पर झूला पुल निर्माण किये जाने,

(7) श्री बहादुर सिंह चौहान, सदस्य, उज्जैन जिले के ग्राम सगवाली में नवीन हाई स्कूल खोले जाने,

(8) श्री प्रदीप पटेल, सदस्य, रीवा जिले में मऊगंज क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालयों एवं अन्य स्कूलों को भी हाई स्कूल में उन्नयन किये जाने,

(9) श्री प्रदीप लारिया, सदस्य, सागर जिले की ग्राम पंचायत मुहली एवं केरबना की सीमा पर पुलिया निर्माण किये जाने,

(10) श्री आशीष गोविन्द शर्मा, सदस्य, देवास जिले के ग्राम किलोदा के 'खयड़ीपुरा' में पेयजल हेतु हैण्डपंप खनन किये जाने,

(11) श्री इन्दर सिंह परमार, सदस्य, शाजापुर जिले के ग्राम भैंसरोद स्थित तालाब की मरम्मत कराये जाने,

(12) श्री पुरूषोत्तम लाल तंतुवाय, सदस्य, दमोह जिले के ग्राम भटिया के अनुसूचित जाति मोहल्ले में सामुदायिक भवन का निर्माण कराये जाने,

(13) श्री प्रणय प्रभात पान्डे, सदस्य, कटनी जिले के ग्राम कछार गांव से बसेड़ी मार्ग पर पड़ने वाले किवलरहा नाले पर पुल निर्माण किये जाने,

(14) श्री कुंवरजी कोठार, सदस्य, राजगढ़ जिले के ग्राम पान्दा से दोबड़ाजमींदार पान्दी तक आमलारोड होते हुये सड़क निर्माण कार्य स्वीकृत किये जाने,

(15) श्री जालम सिंह पटेल, सदस्य, नरसिंहपुर जिले के ग्राम नानौरी एवं निवारी की शासकीय प्राथमिक शाला भवन की जगह से अतिक्रमण हटाये जाने,

(16) श्री दिनेश राय 'मुनमुन', सदस्य, सिवनी जिले के ग्राम परतापुर से कोनियापार एवं बेलखेड़ी से खमारिया मार्ग पर पुलिया निर्माण किये जाने,

(17) श्री संजय यादव, सदस्य, जबलपुर जिले की ग्राम पंचायत तुनिया में पेयजल हेतु हैण्डपंप खनन किये जाने,

(18) श्री अनिल जैन, सदस्य, निवाड़ी जिले के ग्राम जमुनिया से झांसी जाने वाली लिंक रोड पर पुल एवं सड़क निर्माण किये जाने,

के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे.

6. वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा.

ए. पी. सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल :
दिनांक : 10 जुलाई, 2019